(वाद सं0–3776/2018)

13.07.2021

परिवादी, राजीव कुमार की ओर से उनके भाई, मुकेश कुमार सिंह, उपस्थित है।

परिवादी के भाई को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के तिलकताजपुर, अंचल–रून्नीसैदपुर, जिला–सीतामढ़ी अन्तर्गत बागमती दायां तटबंध हेतु अर्जित किये गये भूमि का नये रेट से भुगतान करने हेतु विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर के दो कर्मचारियों, अंजनी कुमार सिंह एवं मिथलेश कुमार झा द्वारा 10% की दर से रिश्वत मांगने के कारण अब तक अर्जन हेतु सरकार के नये दर से भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर व आरोपित दोनों कर्मचारियों/पदाधिकारियों के प्रतिवेदनानुसार मौजा–पोता उर्फ तिलकताजपुर में परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित खेसरा की भूमि का अर्जन वर्षों पूर्व हो चुका है। पूर्व में अर्जित भूमि का नये दर से पुनः भू–अर्जन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भू–अर्जन के नये दर से भुगतान हेतु लगाया गया आरोप असत्य है। प्रतिवेदनानुसार पूर्व में परिवादी द्वारा समान आशय का एक शिकायत प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर के समक्ष की गयी थी जिसमें उभय पक्ष को पूर्णरूपेण सुनने के उपरांत आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः–

‘‘अपीलकर्त्ता द्वारा मुआवजा का राशि नहीं लेने के फलस्वरूप उक्त राशि चलान द्वारा शीर्ष में जमा करा दिया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण का नये दर से मुआवजा राशि का भुगतान की मांग उचित नहीं है। अपीलकर्त्ता यदि नये दर से मुआवजा प्राप्त करना चाहते है तो इस संबंध में अपना पक्ष सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखें।’’

उपरोक्त दोनों कर्मचारियों का कथन है कि समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के समक्ष सरकारी पक्ष को उनके द्वारा रखे जाने से असंतुष्ट होने के कारण ही परिवादी द्वारा मनगढ़ंत, भ्रामक एवं सत्य से परे आरोप लगाकर प्रसंगाधीन परिवाद राज्य आयोग के समक्ष दाखिल किया गया है।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी के भाई यह स्वीकार करते है कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की तिथि को प्रवृत नियम के आलोक में उसकी भूमि की अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति राशि सरकारी कोष में जमा कर दी गयी है, लेकिन वह नये दर से अर्जन राशि प्राप्त करना चाहते है।

चूंकि, प्रतिवेदनानुसार पूर्व में अर्जित भूमि का नये दर से पुनः भू–अर्जन का कोई प्रावधान ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामला में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है। परिवादी चाहें तो सक्षम प्राधिकार के समक्ष विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते हैं।

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन (पृ0–97–93/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>